रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-09042021-226468
CG-AP-E-09042021-226468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943
No. 149] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 अप्रैल, 2021

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2021

फा. सं. भा. बी. वि. वि. प्रा. / विनियम / 3 / 175 / 2021.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14(2)(ङ) और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, भारतीय़ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**

    1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएँगे।

    1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **उद्देश्य खंड –** इन विनियमों का उद्देश्य भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 का संशोधन 2 वर्ष की अवधि के लिए इनकी विधिमान्यता को बढ़ाने के लिए करना है। यह वर्तमान सैंडबाक्स प्रस्तावों के प्रयोग के समापन को संभव बनाने एवं साथ ही, प्रयोग के लिए नये सैंडबाक्स प्रस्तावों को अनुमति देने के उद्देश्य से भी है।

3. **विनियम 1 के उप विनियम (3) में,** शब्द “2 वर्ष” के लिए शब्द “4 वर्ष” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ,अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./13/2021-22]

टिप्पणीः मूल विनियम अधिसूचना सं. फा. सं. भा. बी. वि. वि. प्रा. / विनियम/ 11/ 162/ 2019 दिनांक 26 जुलाई, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किये गये थे।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 7th April, 2021

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021

F. No. IRDAI / Reg / 3 / 175 / 2021.— In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section 2 of section 114A of Insurance Act, 1938 read with Section 14(2)(e) and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019, namely :-

CHAPTER I

1. **Short Title and commencement:**

   1.1 These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021.

   1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Objective clause –** The objective of these Regulations is to amend the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 to extend its validity for a period of 2 years. This is with a view to enabling the completion of experiment of the existing sandbox proposals and also to allow new sandbox proposals for experiment.

3. **In sub regulation (3) of Regulation 1,** for the words “2 years”, the words “4 years” shall be substituted.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./13/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. F. No. IRDAI/ Reg/ 11/ 162/ 2019 dated 26th July, 2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.09 17:49:39 +05'30'